शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता

(प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

भारत सरकार
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

एफ. सं. के-14014/1/2013-यूपीए
भारत सरकार
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
(यूपीए प्रभाग)

निमार्ण भवन, नई दिल्ली
दिनांक:13 दिसम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता (एसयूएसवी) के लिए प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के लिए दिशा-निर्देश दिनांक 24 सितंबर,2013 के का.ज्ञा. सं. के-14011/1/2013-यूपीए के तहत जारी किए जा चुके हैं।

2. एनयूएलएम के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता (एसयूएसवी) के लिए प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश संलग्न हैं, जिनका अनुपालन सभी कार्यान्वयन एजेंसियां करेंगी। ये दिशा-निर्देश आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए गए हैं तथा इसे http://mhupa.gov.in/NULM_Mission/NULM_Mission.htm. से प्राप्त किया जा सकता है।

3. इसे माननीय आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./-
(बी.के. अग्रवाल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

विषय सूची

घटक का सन्दर्भ 1

उद्देश्य 1

राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों और योजना प्राधिकरणों की भूमिका 2

घटक 2

घटक 1: सर्वेक्षण और पहचान पत्र जारी करना 2

घटक 2: शहरी पथ विक्रय योजना तैयार करना 4

घटक 3: अवस्थापना सुधार 5

घटक 4: प्रशिक्षण एवं कौशल विकास 6

घटक 5: वित्तीय समावेशन 7

घटक 6: ऋण प्राप्ति 8

घटक 7: सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ सम्पर्क 9

राज्य शहरी आजीविका मिशन में स्वीकृति समिति 9

निगरानी और मूल्यांकन 9

वित्तपोषण पद्धति 10

1. घटक का सन्दर्भ

1.1 पथ विक्रेता शहरों की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के पिरमिड के निचले स्तर पर एक महत्वपूर्ण वर्ग हैं। पथ विक्रय स्व-रोजगार का एक साधन उपलब्ध कराता हैं और शहरी गरीबी उपशमन के एक उपाय के रूप में कार्य करता है। पथ विक्रय नगरीय आपूर्ति श्रृंखला में एक विशिष्ट स्थान रखता है और गरीबों सहित जनसँख्या के सभी वर्गों को सस्ती एवं सुविधाजनक वस्तुएं एवं सेवाएँ उपलब्ध कराता है। अत: पथ विक्रय शहरों में आर्थिक विकास की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है।

1.2 शिक्षा एवं कौशल का निम्न स्तर तथा औपचारिक ऋणों और सूक्ष्म उद्यम सहायता तक सीमित पहुँच पथ विक्रेताओं को उभरते बाजारों द्वारा जनित लाभों को उठाने से वंचित कर देती है। असंगठित और स्वरोजगारी होने की वजह से अक्सर पथ विक्रेता एवं उनके परिवार सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा, कल्याण व सहायता योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसी वजह से पथ विक्रेता एवं उनके परिवार कठिन समय तथा आकस्मिक खर्च की स्थिति में असुरक्षित और संकटग्रस्त हो जाते हैं।

1.3 इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, शहरी पथ विक्रेताओं को विक्रय हेतु उपयुक्त स्थान तथा संस्थागत ऋण उपलब्ध कराकर, उनका कौशल संवर्धन कर और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लिंकों से सम्बद्ध कर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहता है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता, इस घटक से सम्बंधित रणनीति और प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों की स्थापना करता है।

2. उद्देश्य

2.1 इस घटक का उद्देश्य एक बहु आयामी पद्धति के माध्यम से शहरी पथ विक्रेताओं की विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे:-

अ. पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण और उन्हें पहचान पात्र जरी करना।

आ. नगरीय पथ विक्रय योजना का विकास।

इ. नगरों में पथ विक्रय क्षेत्रों की अवसंरचना का विकास।

ई. प्रशिक्षण तथा कौशल संवर्धन।

उ. वित्तीय समावेशन।

ऊ. ऋण उपलब्धता।

ए. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु संपर्क सूत्र।

3. राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों और योजना प्राधिकरणों की भूमिका

3.1 राज्य सरकारों पर निम्नलिखित बातों का समग्र उत्तरदायित्व होगा:

क. समस्त दिशानिर्देश जारी करना।

ख. परियोजना प्रस्तावों की मंजूरी हेतु प्रक्रिया का निर्धारण करना।

ग. क्रियान्वयन की निगरानी और अधीक्षण हेतु तंत्र का विकास।

घ. प्रगति रिपोर्ट तंत्र का विकास।

3.2 राज्य शहरी आजीविका मिशन इस घटक के पुर्णत: क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल एजेंसी होगा।

3.3 राज्य सरकारों तथा स्थानीय नगरीय निकायों को क्रियान्वयन हेतु स्थानीय नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और नगर नियोजन एजेंसियों, भू एवं राजस्व विभाग तथा जिलाधिकारी कार्यालयों सहित विभिन्न प्राधिकरणों के मध्य आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करना होगा।

3.4 स्थानीय नगरीय निकाय नियोजन प्राधिकरणों से परामर्श और समन्वय स्थापित करेंगे, ये प्राधिकरण कोई नगर विकास प्राधिकरण हो सकता है अथवा शहर या कस्बे में भू उपयोग का नियमन करने के लिए उत्तरदायी कोई अन्य प्राधिकरण इस योजना के क्रियान्वयन में नगर नियोजन प्राधिकरणों की भूमिका के अंतर्गत प्रो वेंडिंग भू-उपयोग योजना को तैयार करना और अधिसूचना जारी करना तथा विक्रेता बाजारों हेतु भूमि उपलब्ध कराना एवं उनके विकास हेतु अनुमोदन प्रदान करना शामिल होगा।

3.5 अन्य एजेंसियों जैसेकि राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, सार्वजानिक स्वास्थ्य विभाग और अभियांत्रिकी विभाग (या जल बोर्ड) द्वारा इस घटक के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय नगरीय निकायों को सहयोग दिया जाना आवश्यक होगा।

4. घटक

घटक 1: सर्वेक्षण तथा पहचान पत्र जारी करना।

4.1 इस घटक के तहत स्थानीय नगरीय निकायों को पथ विक्रेताओं की पहचान हेतु सर्वे कराने और उनका सूचीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। ये सर्वेक्षण सम्पूर्ण नगर स्तर पर कराया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से स्थानीय नगरीय निकाय सर्वे का कार्य एक समय में शहर के किसी एक क्षेत्र (वार्ड / जोन) को चुन कर चरणबद्ध तरीके से पूरा कर सकते हैं। ऐसे मामलों में चुना गया क्षेत्र पर्याप्त रूप से इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए जिसमें विक्रेताओं की क्षेत्रीय गतिशीलता को समायोजित किया जा सके।

4.2 सर्वे के अंतर्गत सर्वेक्षण क्षेत्र के समस्त पथ विक्रेताओं को आच्छादित किया जाना चाहिए। शहरी स्थानीय निकाय सर्वेक्षण पद्धति का विकास करेंगे। सर्वेक्षण में कम से कम इन बातों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए –

- नाम
- अभिभावकों का नाम
- स्थायी पता
- वर्तमान पता
- पहचान प्रमाण (यदि कोई हो)
- टेलीफोन नंबर (यदि कोई हो)
- विक्रय का स्थान
- विक्रय गतिविधि का स्वरूप
- विक्रेता के रूप में संलग्न रहने की अवधि
- परिवार के सदस्यों का विवरण
- यदि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, टी.पी.डी.एस., एस.जे.एस.आर.वाई. आदि जैसी किसी सरकारी योजना के तहत लाभार्थी/ गरीब के रूप में चिह्नित किया गया हो तो उसका विवरण।

सर्वेक्षण के दौरान वर्तमान/स्थायी पतों से सम्बंधित दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाना चाहिए (विशेष तौर पर प्रवासी जनसँख्या के मामलों में) ताकि सर्वेक्षित पथ विक्रेताओं को जो पहचान पत्र जारी किये जायें वे बैंक खाता खुलवाने, बैंकों से ऋण प्राप्त करने और सामाजिक सुरक्षा लाभों को प्राप्त करने हेतु पर्याप्त हों।

4.3 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सर्वेक्षणोंपरांत चिह्नित सभी पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी किये जायेंगे : शहरी स्थानीय निकायों द्वारा समस्त पथ विक्रेताओं का डाटा बेस / आंकड़ा संग्रह रखा जायेगा। चूँकि पथ विक्रेता गतिशील रहते हैं अत: एक ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाना चाहिए जो या तो वर्तमान / स्थायी पते के आधार पर अथवा किसी अन्य आधार पर ये पता लगाने में सक्षम हो कि कोई विक्रेता पहले से ही योजना के अंतर्गत है या नहीं और उसे कार्ड जारी किया जा चुका है या नहीं।

4.4 पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण कार्य हेतु राज्य/शहरी स्थानीय निकाय एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया को अपना कर आर.एफ.पी. माध्यम से किसी संस्था का चुनाव कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जहाँ शहरी स्थानीय निकाय आर.एफ.पी.

जारी करेंगे वहाँ प्रस्तावों की संक्षिप्त चयन सूची, विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु एस.यू.एल.एम. की अनुमोदन समिति को अवश्य भेजी जानी चाहिये। शहरी स्थानीय निकाय सर्वेक्षण की वैकल्पिक पद्धतियाँ भी प्रस्तावित कर सकते हैं जैसेकि समुदाय की भागीदारी द्वारा अथवा गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से अथवा सरकारी या अनुसन्धान संस्थानों द्वारा। ऐसे प्रस्तावों के लिए भी एस.यू.एल.एम. की मंजूरी आवश्यक होगी।

घटक 2: शहरी पथ विक्रय योजना तैयार करना

4.5 इस घटक के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को शहरी पथ विक्रय योजना तैयार करने हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

(i) पथ विक्रय व्यापारों एवं गतिविधियों की रुपरेखा;

(ii) पथ विक्रय गतिविधियों का स्थानिक विवरण;

(iii) विक्रय क्षेत्रों / वेंडिंग जोनों को चिह्नित करना;

(iv) निर्बाध विक्रय क्षेत्र, प्रतिबंधित विक्रय क्षेत्र और प्रतिबंधित विक्रय रहित क्षेत्र के रूप में विक्रय क्षेत्रों का निर्धारण करना;

(v) विक्रय क्षेत्रों की क्षमता का आकलन करना अर्थात यह देखना कि किसी विक्रय क्षेत्र में पथ विक्रेताओं की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है;

(vi) पथ विक्रय से सम्बंधित प्रमुख चुनौतियों, बाधाओं और मुद्दों को समझना; और

(vii) संभावित पथ विक्रय क्षेत्र तथा संभव समाधान।

पथ विक्रय योजना के अंतर्गत उन प्राकृतिक बाज़ारों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए जहाँ विक्रेता एवं खरीदार वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री एवं खरीद हेतु एकत्र होते हैं। योजना का विकास पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधियों तथा अन्य हित धारकों से विचार विमर्श के पश्चात किया जाना चाहिये।

4.6 पथ विक्रय योजना को तैयार करते समय शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नगर पुलिस, यातायात पुलिस, नियोजन प्राधिकरणों तथा अन्य स्थानीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ऐसी विक्रेतानुकूल योजनाओं और रणनीतियों का विकास एवं बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पथ विक्रेताओं के साथ-साथ व्यापक जन समुदाय के लिए भी लाभकारी एवं सुविधाजनक हों। इसके अंतर्गत पथ विक्रय व्यापार क्षेत्रों में बाजार के दिनों में अथवा दिन के किसी विशेष समय में यातायात प्रबंधन व नियमन सहित बिजली, पानी, सफाई और अपशिष्ट निस्तारण सम्बन्धी नीतियों को शामिल किया जा सकता है। शहरी स्थानीय निकाय विक्रय सम्बन्धी मानकों का विकास करने हेतु नियोजन प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित कर सकते हैं और नई तथा पुनरोद्धारित सड़कों, बाजारों, ऑफिस तथा आवासीय कॉम्प्लेक्सों

व अन्य सार्वजानिक स्थानों अथवा अवसंरचनाओं में विक्रय स्थलों का निर्धारण कर सकते हैं। ये व्यवस्था पथ विक्रय योजना को हितधारकों के मध्य अधिक स्वीकार्य बनाएगी।

4.7 शहरी स्थानीय निकाय, नगरीय पथ विक्रय योजना के विकास के दौरान मौजूदा बाज़ारों को कम से कम क्षति पहुँचाने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। तदनुरूप, योजना का विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि पथ विक्रेताओं का न तो स्थान पुनर्निर्धारण हो न ही निष्कासन। यदि ऐसा करना आवश्यक ही हो तो प्रभावित विक्रेताओं से विचार विमर्श अवश्य किया जाना चाहिए।

4.8 सर्वेक्षण सूचनाओं के आधार पर नगरीय पथ विक्रय योजना के अंतर्गत वार्ड या जोन स्तर पर होने वाली विक्रय गतिविधियों, विक्रय के प्रकारों तथा मौजूदा बाजारों का डिजिटिल अथवा गैर डिजिटिल मानचित्रीकरण भी शामिल किया जा सकता है।

4.9 नगरीय पथ विक्रय योजना को तैयार करने हेतु एस.यू.एल.एम. / शहरी स्थानीय निकाय उपर्युक्त पैरा 4.4 में वर्णित चयन प्रक्रिया के माध्यम से सलाहकारों / संस्थाओं को नियोजित कर सकते हैं और एस.यू.एल.एम. की अनुमोदन समिति की मंजूरी के पश्चात उन्हें कार्य सौंपे जा सकते हैं। नगरीय पथ विक्रय योजना को अनुमोदन हेतु राज्य नगरीय आजीविका मिशन (एस.यू.एल.एम.) के पास भेजा जायेगा और उसके अनुमोदन के पश्चात ही योजना को अंतिम समझा जायेगा। एस.यू.एल.एम. ये सुनिश्चित करेगा कि ये योजनायें विधि एवं प्रक्रियाओं की आवश्यकतानुरूप नगरों की विकास योजनाओं के साथ एकीकृत हों।

घटक 3: अवस्थापना सुधार

4.10 इस उपघटक के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को पथ विक्रेताओं के मौजूदा बाजारों के बुनियादी ढांचे में सुधार और उनमें बुनियादी सेवाओं के प्रावधानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। शहरी स्थानीय निकाय इस प्रकार के बुनियादी ढांचों के विकास परियोजनाओं की विस्तृत कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे जिसमें पक्की सड़कों, जलापूर्ति, शौचालयों, अपशिष्ट निस्तारण सुविधा, प्रकाश, सार्वजानिक भण्डारण स्थान, विशेष व्यापारों हेतु विशिष्ट गाड़ियों, अस्थायी शेडों व पार्किंग जैसी उन्नत नागरिक सुविधाएँ शामिल होंगी। विक्रेता बाजारों की अवसंरचना सम्बन्धी आवश्यक्ताओं को पथ विक्रेताओं एवं उनके संगठनों, स्थानीय संस्थाओं तथा अन्य हितधारकों से परामर्श के पश्चात निर्धारित कर स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा पूर्ण किया जायेगा।

4.11 बुनियादी ढांचे में सुधार सम्बन्धी विस्तृत कार्यान्वयन योजना का निर्माण तभी किया जाना चाहिए जबकि परियोजना क्षेत्र में पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका हो। विशेष मामलों में, जहाँ सर्वेक्षण कार्य न हुआ हो किन्तु स्थानीय नगरीय निकाय को ये प्रतीत हो कि वहाँ तत्काल एक परियोजना की आवश्यकता है जिससे पथ विक्रेताओं का विशाल समूह लाभान्वित होगा तो विस्तृत कार्यान्वयन योजना में सर्वेक्षण कार्य एवं उसकी लगत को भी शामिल किया जा सकता है। स्थानीय नगरीय निकायों को परियोजना पर काम शुरू करने से पूर्व ही यह सुनिश्चित करना होगा कि लाभान्वित होने वाले पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी किये जा चुके हों और साथ ही साथ उन्हें राज्य में

लागू नीति, अधिनियम अथवा दिशा–निर्देशानुसार पथ विक्रय प्रमाण पत्र दिया जा चुका हो। परियोजना शुरू करने से पूर्व ही इसके लाभार्थियों की सूची सार्वजानिक सूचना पटल पर तथा शहरी स्थानीय निकायों के सूचना पटल एवं वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जानी चाहिए।

4.12 विस्तृत कार्यान्वयन योजना तैयार करते समय स्वच्छता एवं स्थान के अधिकतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए पथ विक्रेताओं को उनके विशेष प्रकार के व्यापारों के अनुरूप यथा खाद्य पदार्थों की बिक्री आदि के लिए विशेष प्रकार की गाड़ियाँ उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान भी शामिल किया जाना चाहिये। इन गाड़ियों को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक स्व–रोजगार कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है।

4.13 विस्तृत कार्यान्वयन योजना में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिये:

(i) परियोजना औचित्य, लाभार्थियों एवं हितधारकों का विस्तृत विवरण, क्षेत्रीय परिवेश में पथ विक्रय की बेहतरी में परियोजना किस प्रकार सहायक होगी और किस प्रकार ये समग्र नगरीय पथ विक्रय योजना से तादात्म्य स्थापित करेगी।

(ii) भू–स्वामित्व का विवरण।

(iii) पुनर्वास योजना, यदि कोई हो तो उसे प्रभावित पथ विक्रेताओं अथवा उनके संगठन के सहमति पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिये।

(iv) लागत सहित विशिष्ट अवसंरचना उन्नयन परियोजना का विवरण जिसमें परिचालन एवं अनुरक्षण योजना शामिल हो।

(v) परियोजना द्वारा लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की विस्तृत एवं पूर्ण सूची, ऐसे मामलों में जहाँ सर्वेक्षण नहीं किया गया हो और वह विस्तृत परियोजना का ही भाग हो वहाँ बुनियादी ढाँचे में सुधार कार्य शुरू करने से पूर्व ही सर्वेक्षण कार्य पूरा कराकर लाभार्थियों की सूची अवश्य उपलब्ध करा दी जानी चाहिए। एस.यू.एल.एम. लाभार्थियों की सूची के आधार पर परियोजना हेतु धन की द्वितीय किश्त जारी कर सकता है।

(vi) सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दे, यदि कोई हों जो आग अथवा अन्य खतरों से सम्बंधित हों।

4.14 शहरी स्थानीय निकाय स्वयं भी उपर्युक्त निर्धारित प्रावधानों के तहत 'फूड स्ट्रीटों', कृषक बाजारों, 'रात्रि बाजारों' और इन्हीं के समान अन्य विशिष्ट थीम / विषय आधारित बाजारों के निर्माण हेतु विस्तृत कार्यान्वयन योजना बना सकते हैं। ऐसे बाजारों में जहाँ खाद्य सामग्री बाजारों में ही तैयार की जानी हो, वहाँ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बुनियादी ढाँचे में सुधार के अन्य तत्वों के साथ साथ खाद्य सुरक्षा तथा आग से जुड़े खतरों को भी अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिये।

4.15 विस्तृत कार्यान्वयन योजना तैयार करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय उपर्युक्त पैरा 4.4 में वर्णित प्रक्रिया के समान प्रक्रिया को अपनाकर परामर्शदाताओं को नियुक्त कर सकते हैं। विस्तृत कार्यान्वयन योजना को अनुमोदन के लिए एस.यू.एल.एम. की अनुमोदन समिति के पास अवश्य भेजा जाना चाहिए।

घटक 4: प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

4.16 शहरी स्थानीय निकाय एक समय पर किसी एक क्षेत्र के सभी पथ विक्रेताओं हेतु एक से दो दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य पथ विक्रेताओं को उनके अधिकारों एवं दायित्वों, उनसे सम्बंधित विशेष नीतियों अथवा कानूनों, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता रखरखाव, अपशिष्ट निस्तारण आदि के प्रति उन्मुख/जागरूक करना होगा।

4.17 प्रशिक्षण मॉड्यूल, आई.ई.सी. सामग्री, तथा कार्यशालाओं का निर्माण या आयोजन, राज्य शहरी आजीविका मिशन अथवा शहरी स्थानीय निकाय चिह्नित संसाधन एजेंसियों के साथ मिलकर सम्मिलित रूप से कर सकते हैं। प्रशिक्षण कार्य किसी विशिष्ट संस्था जैसे कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अथवा किसी प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन जैसे बाह्य स्रोत के माध्यम से कराया जा सकता है।

4.18 जो भी पथ विक्रेता प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा कार्यशाला में भाग लेंगे उन्हें आजीविका अवसरों की लागत पर आधारित गणना के अनुसार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले समस्त दिनों हेतु दैनिक भत्ता दिया जायेगा जोकि राज्य के शहरी क्षेत्रों में लागू न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होना चाहिये। प्रशिक्षण लागत में प्रशिक्षक शुल्क, भोजन एवं यात्रा व्यय भी शामिल होना चाहिए जोकि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 750 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। पथ विक्रेताओं हेतु आयोजित किये जाने वाले इन विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की लागत को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार (ईएसटी एंड पी) द्वारा पूर्ण किया जा सकेगा।

4.19 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर प्रतिभागियों के सुझावों की रिपोर्ट मासिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

घटक 5: वित्तीय समावेशन

4.20 पथ विक्रेता प्राय: संगठित बैंकिंग सेवाओं को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनके पास न तो पहचान संबधी दस्तावेज होते हैं न ही पते का प्रमाण, न तो उन्हें व्यवसाय स्थल पर कोई विधिक अधिकार/स्वामित्व प्राप्त होता है और न ही उनके पास उनके व्यापार अथवा पेशे से जुड़ा कोई साक्ष्य होता है। इस योजना के तहत ये परिकल्पित किया गया है कि पथ विक्रेताओं को जो पहचान पत्र जारी किये जायेंगे वह उन्हें बैंकिंग सेवाओं को प्राप्त करने में मददगार साबित होंगे। एस.यू.एल.एम. तथा शहरी स्थानीय निकाय बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से सम्बन्ध स्थापित कर पथ विक्रेताओं को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये गए इन दस्तावेजों के आधार पर ही बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं की सुविधा उपलब्ध करवायेंगे।

4.21 एस.यू.एल.एम. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति तथा जिला परामर्श समिति की बैठकों में शहरी पथ विक्रेताओं के वित्तीय समावेशन हेतु एक पृथक एजेंडा शामिल करेगा। इस समावेशन का प्रमुख ध्येय यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी पथ विक्रेताओं को बैंक खाता उपलब्ध हो और वे सभी बैंकों द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में शामिल किये जायें।

4.22 **वित्तीय साक्षरता:** शहरी स्थानीय निकाय, संसाधन संगठनों तथा क्षेत्र कर्मियों (फील्ड स्टाफ)के सहयोग से चिह्नित पथ विक्रेताओं हेतु वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी सत्रों का आयोजन करेंगे। इन सत्रों में पथ विक्रेताओं को बचत, ऋणों, बीमा आदि के सम्बन्ध में जागरूक किया जायेगा साथ ही उन्हें इन सुविधाओं को प्राप्त करने के आवश्यक तौर तरीकों तथा प्रचालन सम्बन्धी बातों से अवगत कराया जायेगा। बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को पथ विक्रेताओं के साथ नगर आजीविका केन्द्रों व शिविरों आदि के माध्यम से संवाद स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जायेगा। शहरी स्थानीय निकाय वित्तीय साक्षरता सत्र तथा शिविर आयोजित करने हेतु लीड बैंक के लीड जिला प्रबंधक और बैंकों के वित्तीय साक्षारता एवं ऋण / साख परामर्श केन्द्रों के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे।

4.23 **सामान्य बचत-जमा बैंक खाता खोलना:** इसके तहत समस्त चिह्नित पथ विक्रेताओं का सामान्य बचत जमा खता खोला जायेगा। एस.यू.एल.एम. सम्बंधित राज्य की लीड बैंक समिति के संयोजक बैंक, शहरी स्थानीय निकाय, लीड जिला प्रबंधक के साथ विचार विमर्श एवं समन्वय स्थापित कर निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करेंगे:-

- लीड बैंक के लीड जिला प्रबंधक और जिला परामर्श समिति को नगर स्तर पर आच्छादित किये जाने वाले चिह्नित पथ विक्रेताओं की सूची उपलब्ध कराना।
- प्रचालानात्मक औपचारिकताओं यथा फॉर्म आदि की सभी बैंक शाखाओं/विस्तार पटलों, नगर आजीविका केन्द्रों तथा स्थानीय नगरीय निकायों के कार्यालयों पर उपलब्धता।
- स्थानीय नगरीय निकाय के फील्ड स्टाफ एवं संसाधन संगठनों के सहयोग से सम्बंधित बैंक के कार्यक्षेत्र में खाते खुलवाने हेतु शिविरों का आयोजन करना।
- शहर की आवश्यक्तानुसार बेहतर पहुँच हेतु बैंकों के व्यापारिक संवाददाताओं / व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं को संलग्न करना।

घटक 6: ऋण प्राप्ति

इस घटक का प्रमुख लक्ष्य पथ विक्रेताओं की कार्यशील पूँजी की आवश्यक्ता को पूर्ण करने हेतु उनकी पहुँच ऋण साधनों तक बनाना है जिसके तहत पथ विक्रेताओं को बैंकों से ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराना शामिल होगा। यह घटक इस बात पर भी ध्यान केन्द्रित करेगा कि चिह्नित व्यक्तिगत पथ विक्रेताओं को उनकी कार्यशील पूँजी की आवश्यक्ता पूर्ति हेतु क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध हो सके।

4.24 **ऋण प्राप्ति:** राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक स्व-रोजगार कार्यक्रम एकल उद्यम के तहत शहरी गरीबों को बैंक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। अत: एसईपी के दिशानिर्देशों के अनुरूप चिह्नित शहरी गरीब पथ विक्रेताओं को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। निर्धन पथ विक्रेताओं द्वारा ऋण लिए जाने की औपचारिकतायें एवं प्रक्रिया उसी समान होंगी जैसीकि घटक एसएपी-I में वर्णित हैं।

4.25 इस घटक के तहत ही ये परिकल्पना की गयी है कि यदि अन्य पथ विक्रेता अपने उद्यमों हेतु ऋण लेने के इच्छुक होंगे तो स्थानीय नगरीय निकाय उन्हें भी बैंक लिंकों की सुविधा उपलब्ध करायेंगे। ऋण हेतु स्थानीय नगरीय निकाय ऐसे पथ विक्रेताओं की पहचान कर उनसे ऋण आवश्यक्ता सम्बन्धी इच्छा पत्र लेकर उनके आवेदनों को आगे की प्रक्रिया हेतु बैंकों को प्रेषित करेंगे।

4.26 शहरी पथ विक्रेताओं हेतु क्रेडिट कार्ड : शहरी स्थानीय निकाय पात्र शहरी पथ विक्रेताओं को उनकी कार्यशील पूंजी तथा आकस्मिक ऋण आवश्यक्ताओं की पूर्ति हेतु उन्हें क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवायेंगे। शहरी स्थानीय निकाय संभावित पथ विक्रेताओं की पहचान कर उन्हें क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने हेतु बैंक-लिंकों की सुविधा उपलब्ध करायेंगे। प्रारम्भ में शहरी पथ विक्रेताओं को सूक्ष्म उद्यम विकास के लिए बैंकों के मौजूदा क्रेडिट कार्डों जैसेकि सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) अथवा कोई भी अन्य क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने पर ही ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।

4.27 हूपा मंत्रालय भी वित्तीय सेवा विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके शहरी पथ विक्रेताओं हेतु विशिष्ट क्रेडिट कार्ड योजना लागू किये जाने की संभावनाओं की तलाश करेगा।

घटक 7: सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ सम्पर्क

4.28 पथ विक्रेताओं को सामाजिक बीमे के दायरे में लाने और अनिश्चितताओं के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय, पथ विक्रेताओं को भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न बीमा योजनाओं जैसेकि स्वास्थ्य बीमा हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) जीवन बीमा हेतु आम आदमी बीमा योजना (पूर्वकालिक जनश्री बीमा योजना) अथवा कोई भी राज्य विशेष बीमा योजना हेतु नामांकन की सुविधा उपलब्ध करायेंगे: तथापि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किसी भी बीमा योजना में किया जाने वाला ये नामांकन पथ विक्रेताओं की स्वतंत्र इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए।

4.29 शहरी स्थानीय निकाय राज्य तथा केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और सहायता सम्बन्धी योजनाओं के प्रति पथ विक्रेताओं में जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ उनमें नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध करायेंगे।

5. राज्य शहरी आजीविका मिशन में स्वीकृति समिति

राज्य स्तर पर एन.यू.एल.एम. के मुख्य सचिव / सचिव की अध्यक्षता में एक अनुमोदन समिति होगी जिसमें राज्य के सम्बंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समिति का कार्य एन.यू.एल.एम. के इस घटक के तहत शहरी स्थानीय निकायों अथवा राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रस्तावों पर विचार करना एवं उनका अनुमोदन करना होगा। हूपा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी इस अनुमोदन समिति का सदस्य होगा।

6. निगरानी और मूल्यांकन

6.1 इस घटक के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (एसएमएमयू) तथा शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर नगर मिशन प्रबंधन इकाई (सीएमएमयू) गतिविधियों/लक्ष्यों की प्रगति पर सूक्ष्म दृष्टि रखेंगे और रिपोर्टिंग एवं मूल्यांकन का कार्य करेंगे। राज्य शहरी आजीविका मिशन तथा शहरी स्थानीय निकाय अथवा कार्यान्वयन एजेंसियाँ मिशन निदेशालय द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रारूप में समयबद्ध प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें मासिक और तिमाही के अंत तक की संचयी उपलब्धियों को दर्शाते हुये कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों का वर्णन किया जायेगा।

6.2 इसके अतिरिक्त लक्ष्यों एवं उपलब्धियों पर दृष्टि बनाये रखने के लिए एन.यू.एल.एम. के तहत एक व्यापक व दक्ष सूचना एवं तकनीकी युक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) का विकास किया जायेगा। राज्यों और स्थानीय नगरीय निकायों के लिए ये आवश्यक होगा की वे अपनी प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करें तथा इस साधन / प्रणाली का प्रयोग इस आधार पर प्रगति की निगरानी में करें। एन.यू.एल.एम. के अंतर्गत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचनाओं का स्वत: प्रकटीकरण किया जायेगा और एस.यू.एस.वी. की मुख्य प्रगति रिपोर्ट समयबद्ध रूप से सार्वजनिक सूचना पटलों पर उपलब्ध करायी जाएगी।

7. वित्त पोषण पद्धति

राज्य हेतु एन.यू.एल.एम. के कुल आवंटन का 5 प्रतिशत हिस्सा इस घटक के क्रियान्वयन में खर्च किया जा सकता है। जिसमें प्रशिक्षण तथा ऋण उपलब्धता पर खर्च की गई लागत नहीं शामिल होगी क्योंकि इन्हें क्रमश: इएसटीएण्डपी तथा एसइपी द्वारा वहन किया जायेगा। वित्त पोषण व्यवस्था के तहत सामान्यत: केंद्र तथा राज्यों की भागीदारी 75:25 के अनुपात में होगी तथापि उत्तर पूर्वी राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा) तथा विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड) के मामलों में ये भागीदारी 90:10 अनुपात में होगी।